बार कौसिंल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

परिवाद संख्या–290/23

दीपक कुमार ..... वादी

बनाम

सोनू मलिक ...प्रतिवादी

यह कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी पर निम्नलिखित आरोप लगाए गये है

1. यह कि सोनू मलिक आये दिन गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते है यह अपराधिक किस्म की महिला है और जिस पर कई आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं तथा एक रैकेट चला रहीं है और प्रतिवादी महिला अधिवक्ता द्वारा अलग अलग झूठे मुकदमें किये गए है अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर काइम नं 4508/2019 के अंतर्गत धारा 376, 354 आईपीसी, लिखवाकर लंबे रूप्ये लेकर ब्लेकमेल किया।

2. यह कि सोनू मलिक पर कई अपराधिक मुकदमे दर्ज है जबकि इसने अपना अपराधिक रिकार्ड छिपाकर रजिस्ट्रेशन कराया है तथा सोनू मलिक पर 506/2019 सिविल लाइन जिला अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज है।

3. सोनू मलिक पर 853/2017 थाना दहेली जिला अलीगढ़ में दर्ज है। सोनू मलिक पर 508/2019 थाना सिविल लाइन अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज है।

4. यह कि सोनू मलिक अक्सर व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाती है और पैसा लेकर छोड़ती है तथा ब्लैकमेल करती हैं और अधिवक्ताओं की छवि धूमिल कर रहीं है। उपरोक्त सभी के समर्थन में वादीगण द्वारा एफआईआर की प्रति संलग्न की गयी है।

5. प्रतिवादी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी उलझन सिंह की जूनियर रही 2019.22 तक रही और उलझन सिंह का एक ग्रुप है इस ग्रुप में कई लोग हैं उलझन सिंह बिंद क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल है और मुझको चैम्बर से निकालकर मेरा उत्पीड़न कर रहें हैं।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

BAR COUNCIL U.P. Allahabad

6. प्रार्थिनी ने आज तक किसी को न ही किसी के ऊपर झूठे मुकदमें किये गये है सब कहानी अधिवक्ता उलझन सिंह द्वारा करायी गयी है।

7. अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह अलीगढ के विरूद्ध न कोई शिकायत दर्ज करायी न कोई लेना देना रहा।

8. यह कि प्रतिवादी द्वारा 506/2019 मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विवेचना रिपोर्ट जमा की गयी है और माननीय न्यायालय की आदेश 25.07.2022 की प्रति संलग्न है।

9. यह कि प्रतिवादी द्वारा काइम संख्या–853/2017 जोकि प्रार्थिनी के बहन के ससुर ने किया है।

यह कि दोनो पक्षों को सुना गया निम्नलिखित वाद बिन्दु निस्तारित किये जाते है दोनो पक्षों द्वारा कहा गया कि वह कोई अन्य साक्ष्य नहीं देना चाहते हैं।

वाद बिन्दु

1. क्या प्रतिवादी द्वारा अधिवक्ताओं की छवि धूमिल की जा रही है?
2. क्या प्रतिवादी द्वारा झूठा हलफनामा दायर कर अपना आपराधिक रिकार्ड को छिपाते हुए रजिस्ट्रेशन कराया गया है?
3. यदि प्रतिवादी द्वारा अधिवक्ताओं की छवि धूमिल व आपराधिक रिकार्ड छिपवाकर झूठा हलफनामा बार कौंसिल में दाखिल किया गया है तो प्रतिवादी एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत दोषी है या नहीं?

यह कि वाद बिन्दु 1 व 2 उभयनिष्ठ है। अतः दोनो तद्नुसार निस्तारित किये जाते है।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी की आपराधिक इतिहास पैरा–2 से 8 तक अपने परिवाद में दर्शाया है और इसके समर्थन में सभी एफआईआर संलग्न की है और इसके समर्थन में वादी द्वारा 14.09.2023 का शपथ पत्र भी लगाया है।

"यह कि सोनू मलिक ने अपने जवाब दावा में सबको बताया है कि बदले की भावना से उलझन सिंह द्वारा कराया गया है साथ ही पैरा 12 में प्रतिवादी द्वारा कहा गया है कि बार कौन्सिल आफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होने से पहले अपने खिलाफ मुकदमें में फैसले की

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

कापी संलग्न करना अनिवार्य था यह अधिवक्ता उलझन सिंह ने प्रार्थिनी को नहीं बताया था। प्रार्थिनी से खाली दस्तक कराया था। रजिस्ट्रेशन में जो शपथ पत्र लगता है वह अधिवक्ता उलझन सिंह ने न्यायालय इलाहाबाद से खुद ही लिखाया था इसके बारें में प्रार्थिनी को कोई जानकारी नही थी।"

प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त तथ्य स्वीकार किये गये है और साथ ही सोनू मलिक 07.05.2019 से जनपद न्यायालय में बतौर मुंशी के रूप में अपना पंजीकरण कराया था तत्पश्चात पैरा–1 अपने जवाबदावा में यह तथ्य स्वीकार किये है कि प्रतिवादी 2019 से 2022 तक बतौर जूनियर कार्य कर रही थी। अतः प्रतिवादी को शपथ पत्र में क्या लिखा जाना है क्या नही लिखा जाना है उसको भलीभांति पता था क्योंकि वह लगातान 2019 से 2022 तक विभिन्न न्यायालयो में बतौर जूनियर कार्य कर रही थी । अतः प्रतिवादी द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन में तथ्यों को छिपाकर व गलत झूठा शपथपत्र देकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है और वादी द्वारा लगाये गये आरोप प्रतिवादी पर सत्य साबित होते है। इससे अधिवक्ताओं की छवि धूमिल हो रही है और समाज में सोनू मलिक द्वारा गलत व घिनौने कृत्य किये जा रहे हैं।

यह कि वाद बिन्दु–3 निम्नलिखित रूप में निस्तारित किया जाता है:–

यह कि वादी द्वारा लगाये गये आरोप प्रतिवादी पर सही व सत्य पाये गये अतः प्रतिवादी को 3 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या–0092/2022 सोनू मलिक पुत्री अल्लाउद्दीन खान को प्रेक्टिस से वंचित किया जाता है और इनका लाइसेंस 3 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

आदेश

यह कि प्रतिवादी सोनू मलिक पुत्री अल्लाउद्दीन खान रजिस्ट्रेशन संख्या–0092/2022, का लाइसेंस 3 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है और प्रेक्टिस से वंचित किया जाता है। आदेश की प्रति माननीय हाईकोर्ट, प्रयागराज व जिला न्यायालयों को प्रेषित कर दी जाए।

31.8.24

ह० अ० ह०अ० ह०अ०

TRUE COPY

Section Officer
DISCIPLINARY COMMITTEE
BAR COUNCIL OF U.P., PRAYAGRAJ

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

बार कौसिंल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

परिवाद संख्या–291/23

उलझन सिंह ..... वादी

बनाम

सोनू मलिक ...प्रतिवादी

यह कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी पर निम्नलिखित आरोप लगाए गये हैः–

1. यह कि शिकायतकर्ता उलझन सिंह ने सोनू मलिक पुत्री अलाउद्दीन खान शिकायतकर्ता के हाईकोर्ट में जूनियर रही जिसे अक्टूबर 2022 में चैम्बर से निकाल दिया क्योंकि प्रार्थी के चैम्बर में रहकर प्रार्थी के अनुपस्थिति के समय प्रार्थी के मुवक्किलों को सोनू मलिक रूपये ले लेती थी और कभी–कभी प्रार्थी के मुवक्किलो को बहकाकर दूसरे अधिवक्ताओं को दे देती थी। चैम्बर से अलग होने के बाद सोनू मलिक आगरा जिले के एक बदमाश से जान से मरवाने की धमकी दी और बोली की तुम अभी मुझको नही जानते हो। सोनू मलिक शिकायतकर्ता का चैम्बर पर कब्जा करने के लिए तरह–तरह से प्रताड़ित कर रही है।

2. यह कि सोनू मलिक अक्सर व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाती है और पैसा लेकर छोड़ती है तथा ब्लैकमेल करती हैं और अधिवक्ताओं की छवि धूमिल कर रहीं है। सोनू मलिक अपने कार्ड पर शिकायतकर्ता के घर का पता लिखा रखा है जिससे जिनको ठगती हे वह शिकायतकर्ता के घर पर आकर विवाद करता है।

3. यह कि शिकायतकर्ता द्वारा पैरा 2 से लेकर पैरा 14 तक अपने शिकायत के समर्थन में एफआईआर व अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का पत्र तथा अपना शपथ पत्र फाइल किया है जिसमें सोनू मलिक के कियाकलापों का वर्णन किया है

4. यह कि सोनू मलिक आये दिन गाली गलौज करती हैं और जान से मारने की धमकी देती है यह अपराधिक किस्म की महिला है और जिस पर कई आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं तथा एक रैकेट चला रहीं है और प्रतिवादी महिला अधिवक्ता द्वारा अलग अलग झूठे मुकदमें किये गए है अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर काइम नं

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

यह कि दोनो पक्षों को सुना गया निम्नलिखित वाद बिन्दु निस्तारित किये जाते है दोनो पक्षों द्वारा कहा गया कि वह कोई अन्य साक्ष्य नहीं देना चाहते हैं।

वाद बिन्दु

1. क्या प्रतिवादी द्वारा समाज में अधिवक्ताओं की छवि धूमिल की जा रही है?
2. क्या प्रतिवादी द्वारा झूठा हलफनामा दायर करके रजिस्ट्रेशन कराया गया है?
3. यदि प्रतिवादी एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 के अंतर्गत सजा पाने दोषी है या नहीं?

यह कि वाद बिन्दु 1 व 2 उभयनिष्ठ है। अतः दोनो एकसाथ निस्तारित किया जाता है।

यह कि वादी द्वार शिकायत की गयी है कि प्रतिवादी अधिवक्ताओं की छवि धूमिल कर रही है और अपने कथन अपने प्रार्थना पत्र के पैरा 2 से लेकर 14 में प्रतिवादी के विभिन्न कृत्यों का उल्लेख किया है और उसके समर्थन में शपथ पत्र व रिकार्ड दाखिल किया है।

प्रतिवादी द्वारा पैरा 7 के जवाब में पैरा 11 जवाबदावा में उल्लेख किया गया है कि **प्रार्थिनी को पहले यह मालूम नहीं था कि बार कौन्सिल ऑफ उ0प्र0 में रजिस्टर्ड होने से पहले अपने खिलाफ मुकदमें में फैसले की कापी संलग्न करना अनिवार्य था यह अधिवक्ता उलझन सिंह ने प्रार्थिनी को नहीं बताया था प्रार्थिनी से खाली दस्तक कराया था रजिस्ट्रेशन में जाो शपथ पत्र लगता है वह अधिवक्ता उलझन सिंह ने न्यायालय इलाहाबाद से खुद ही लिखाया था इसके बारे में प्रार्थिनी को कोई जानकारी नही थी।**

यह कि प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसने झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया है। और साथ ही यह कहा कि मुझको कोई ज्ञान नहीं था प्रतिवादिनी 2019 से लेकर 2022 तक शिकायतकर्ता के यहां बतौर जूनियर कार्य कर रही थी और वह भली–भांति फाइलों व शपथपत्र में क्या विवरण होना है उसको पता था। अतः प्रतिवादी ने अधिवक्ताओं की छवि धूमिल कर तथा झूठा हलफनामा दाखिल कर अपने विरूद्ध चल रहे केसों को छिपाकर रजिस्ट्रेशन कराया है और समाज में लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर डरा धमकाकर महिला होने का लाभ/फायदा ले रही हैं। इनके कृत्य क्षम्य नहीं है।

अतः कि वाद बिन्दु–3 निम्नलिखित रूप में निस्तारित किया जाता है:–

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

यह कि वादी द्वारा लगाये गये आरोप प्रतिवादी पर सही व सत्य पाये गये अतः प्रतिवादी को 3 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या–0092/2022 सोनू मलिक पुत्री अल्लाउद्दीन खान को प्रेक्टिस से वंचित किया जाता है और इनका लाइसेंस 3 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

आदेश

यह कि प्रतिवादी सोनू मलिक पुत्री अल्लाउद्दीन खान रजिस्ट्रेशन संख्या–0092/2022, का लाइसेंस 3 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है और प्रेक्टिस से वंचित किया जाता है। आदेश की प्रति माननीय हाईकोर्ट, प्रयागराज व जिला न्यायालयों को प्रेषित कर दी जाए।

31.8.24

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

TRUE COPY

Section Officer
DISCIPLINARY COMMITTEE
BAR COUNCIL OF U.P., PRAYAGRAJ

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD